प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा–5/फा–मान्यता/ 02 /2014 दिनांकः– 22.4.14

संस्था सचिव
माहेश्वरी पब्लिक स्कूल – इन्टरनेशनल
(एम.पी.एस. – इन्टरनेशनल)
भाभा मार्ग, तिलक नगर, जयपुर ।

विषय : नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 21.04.2014 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किए गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं **जिला शिक्षा अधिकारी** (विद्यालय का नाम और पता) **माहेश्वरी पब्लिक स्कूल – इन्टरनैशनल, (एम.पी.एस. – इन्टरनेशनल), (अंग्रेजी माध्यम) भाभा मार्ग, तिलक नगर,, जयपुर** को 30.04.2014 से कक्षा **नर्सरी से 8वीं तक** के लिए मान्यता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्दीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय, कक्षा–1 में या, यथारिथति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या असके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

PRINCIPAL
MPS INTERNATIONAL
BHABHA MARG, TILAK NAGAR
JAIPUR

HONY SECRETARY
MPS INTERNATIONAL
BHABHA MARG, TILAK NAGAR
JAIPUR

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं।

13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड़ संख्या (RJ/DEO/E/JPR/2014-15/002) हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिचित करें।

17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

18. संस्था के द्वारा अतिरिक्त मान्यता शुल्क राशि 20,000 जमा करवाये जाने पर संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक सत्र 2014-15 में क्रमोन्नत कर इस सत्र से कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक एक साथ प्रारम्भ की जायेगी ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

PRINCIPAL
MPS INTERNATIONAL
BHABHA MARG, TILAK NAGAR
JAIPUR

HONY SECRETARY
MPS INTERNATIONAL
BHABHA MARG, TILAK NAGAR
JAIPUR